

[2023] 2 एस. सी. आर 402

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

ए.

राम गोपाल एस/ओ मानसराम बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2018 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9221) 17 फरवरी, 2023

बी.

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 -s.302-साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत दोषसिद्धि -धारा 106- अभियोजन का मामला यह है कि याची -अभियुक्त ने पीड़ित-मृत को ले लिया था-इसके अगले ही दिन, पीड़ित को सड़क पर मृत पाया गया-याची ने यू/एस को दोषी ठहराया। 302 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:उस अवधि के बीच का अंतराल जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और मृतक के शव की बरामदगी काफी निकट थी, याची का उस परिस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण न देना जिसके तहत याची ने मृतक की कंपनी को छोड़ दिया था, उसके खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति साबित हुई-गवाहों के मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मृतक और याची के बीच दुश्मनी भी सामने आई थी-याची से अपराध करने में कथित रूप से हथियार-कुल्हाड़ी की बरामदगी के संबंध में पुष्टि करने वाले साक्ष्य ने भी अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की।

सी.

डी.

ई.

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.106 और 'आखिरी बार एक साथ देखा गया'-एक बार अभियोजन पक्ष द्वारा "आखिरी बार एक साथ देखा गया" का सिद्धांत स्थापित हो जाने के बाद, अभियुक्त से कुछ स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा की जाती थी कि उसने मृतक की कंपनी को कब और किन परिस्थितियों में अलग कर दिया था-यह सच है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को देखते हुए, जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है-यदि अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो उसके

विशेष ज्ञान के भीतर साबित होते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को देखते हुए, अभियुक्त की ओर से ऐसी विफलता का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ किया जा सकता है क्योंकि यह अभियुक्त की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकता है।

एफ.

जी.

एच.

402

403

राम गोपाल एस/ओ मंशाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए

ए.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

1. 1 को पकड़ें। एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा "आखिरी बार एक साथ देखे जाने" का सिद्धांत स्थापित हो गया, तो आरोपी से कुछ स्पष्टीकरण देने की उम्मीद की गई कि उसने कब और किन परिस्थितियों में मृतक की कंपनी को अलग कर दिया था। यह सच है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** को देखते हुए, जब कोई भी तथ्य किसी भी व्यक्ति की जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। बेशक, धारा **106** का उद्देश्य निश्चित रूप से अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के अपने कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है, फिर भी, यह समान रूप से स्थापित कानूनी स्थिति भी है कि यदि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** को देखते हुए उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो उसकी विशेष जानकारी के भीतर साबित होते हैं, तो अभियुक्त की ओर से ऐसी विफलता का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ किया जा सकता है क्योंकि यह उसके खिलाफ साबित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में, अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना या प्रस्तुत न करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" का सिद्धांत उसके खिलाफ साबित हो गया था।

[पैरा 6] [407-डी. जी.] 1.2 यह स्पष्ट है कि यद्यपि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम बार देखा गया सिद्धांत अपने आप में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है जो केवल ऐसे सिद्धांत पर दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, जब उक्त सिद्धांत को अन्य परिस्थितियों जैसे कि उस समय के साथ जोड़ा जाता है जब मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब होने के कारण, अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** के तहत उन

परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देना पड़ता है जिनके तहत मृत्यु हुई हो सकती है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, तो फरार हो जाता है, मकसद स्थापित हो जाता है और हथियारों की बरामदगी आदि के रूप में कुछ अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाते हैं, तो दोषसिद्धि ऐसे साक्ष्य पर आधारित हो सकती है। [पैरा 9] [409-सी-ई]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2. जहाँ तक तत्काल मामले के तथ्यों का संबंध है, यह विधिवत साबित हुआ कि मृतक की मृत्यु हत्या थी। यह.

एच.

404 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि याची मृतक को पिछले दिन शाम को अपने साथ ले गया था और उसके बाद उसे गवाह पीडब्लू-4 द्वारा मृतक के साथ भी देखा गया था और अगले ही दिन सुबह, मृतक का शव खेत में पड़ा हुआ पाया गया था। उस अवधि के बीच का समय अंतराल जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और मृतक के शव की बरामदगी काफी निकट थी, याची का उस परिस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण न देना जिसके तहत याची ने मृतक की कंपनी को छोड़ दिया था, उसके खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति साबित हुई। गवाहों के मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मृतक और याची के बीच दुश्मनी भी सामने आई थी। याची से अपराध करने में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार-कुल्हाड़ी की बरामदगी के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य ने भी अभियोजन के मामले की पुष्टि की। [पैरा 10] [409-ई-एच]

बी.

सी.

राजेंद्र बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2019) 10 एस. सी. सी. 623; सतपाल बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 610-आश्रित

डी.

पर।

पदला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और

अन्य 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 706; शाहजा उर्फ

शहाजन इस्माइल मोहम्मद।शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य

ई.

(2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 883; निजाम और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2016) 1 एस. सी. सी. 550; राजेंद्र बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2019) 10 एस. सी. सी. 623; सतपाल बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 610-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

एफ.

(1989) मान लीजिए (2) पैरा 3 (2016) 1 एस. सी. सी. 550 को संदर्भित एस. सी. सी. 706 पैरा 3 (2019) 10 एस. सी. सी. 623 पर निर्भर था

पैरा 7

(2018) 6 एस. सी. सी. 610

पर भरोसा किया गया |

पैरा 8

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2018 का No.9221।

2000 के सी. आर. एल. ए. No.70 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.07.2018 के निर्णय और आदेश से।

एच.

405

राम गोपाल एस/ओ मंशाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए

ए.

सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय के. अग्रवाल, योगेश तिवारी, सुश्री नीमा, विक्रान्त सिंह बी., सुश्री आमना दरख्शां, अधिवक्तागण याची के लिए।

डी. एस. परमार, ए. ए. जी., हरमीत सिंह रूपरा, सनी चौधरी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।
बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 70/2000 में ग्वालियर की पीठ द्वारा पारित दिनांक 13.07.2018 के विवादित फैसले और आदेश को याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा वर्तमान याचिका के माध्यम से चुनौती देने की मांग की गई है। उक्त अपील को उच्च न्यायालय द्वारा एस. टी. सं. <आई. डी. 2 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना (जिसे इसके बाद "सत्र न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 17.01.2000 के फैसले और आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसके तहत याची को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे 50 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 5, 000/-, इसकी चूक में दो साल की अवधि के लिए और सश्रम कारावास भुगतना होगा।

सी.

डी.

2. याचिकाकर्ता-अभियुक्त रामगोपाल उर्फ गोपाल गाँव हर गंगोली का पूर्व-पंच था। 20.12.1995 पर लगभग 09 बजे:30 सुबह, शिकायतकर्ता उपेंद्र सिंह (पीडब्लू-1) ने पुलिस स्टेशन बागचिनी में बताया कि लगभग 5 बजे उनके चाचा (ताऊ) प्रताप सिंह सिकरवार को अरहेला से सरपंच राम गोपाल ले गया था, और उनके चाचा प्रताप सिंह का शव गाँव चाचीहा में भरोसीबाबा के घर के पास सड़क पर पड़ा हुआ था। उन्होंने शिकायत में आगे आरोप लगाया कि उनके चाचा के सिर और कान पर चोट के निशान पाए गए थे और उक्त हिस्सों से खून बह रहा था। उक्त शिकायत बागचिनी पुलिस स्टेशन में 20.12.1995 पर प्राथमिकी संख्या 132/95 के रूप में दर्ज की गई थी। जाँच अधिकारी ने जाँच करने के बाद याचिकाकर्ता रामगोपाल के साथ अन्य तीन अभियुक्तों सुरेश सिंह, छोटेल्ली उर्फ छोटे सिंह और मिंटू उर्फ करण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सत्र न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ अपराध के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 और 34 सहपठित वैकल्पिक धारा 302 के तहत आरोप तय किए। सत्र न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद याचिकाकर्ता-रामगोपाल को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया, हालांकि अन्य तीन अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उसी से व्यथित होकर, याची ने

ई.

एफ.

जी.

एच.

406

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी, जिसे विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. याची की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद ने विद्वान कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, हालांकि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है जिससे याची -आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। उनके अनुसार, अवर न्यायालयों ने याची को केवल "आखिरी बार एक साथ देखे जाने" के सिद्धांत पर दोषी ठहराने में गलती की है, हालांकि उस समय के बीच एक बड़ा अंतराल था जब याची को अंततः मृतक के साथ देखा गया था और उस समय के बीच जब मृतक का शव बरामद किया गया था। याची से हथियार कुल्हाड़ी की कथित बरामदगी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकी, विशेष रूप से जब मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने यह राय नहीं दी थी कि मृतक के शव पर पाए गए घाव उक्त हथियार से संभव थे। श्री खुर्शीद के अनुसार, मृतक और याची के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, और इसके विपरीत पीडब्लू-1 उपेंद्र सिंह और पीडब्लू-8 रामश्री के साक्ष्य के अनुसार, उनके संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। श्री खुर्शीद की दलील है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच के अभाव में, याची को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, जब अन्य तीन सह-अभियुक्तों को ऐसा लाभ दिया गया था। श्री खुर्शीद ने इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है

बी.

सी.

डी.

ई.

पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य **1** का मामला, शाहजा उर्फ शाहाजन इस्माइल मोहम्मद के मामले में। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य **2**, और निजाम के मामले में और एक अन्य बनाम राज्य

राजस्थान **3** उनकी दलीलों के समर्थन में। **4**. तथापि, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी. एस. परमार ने प्रस्तुत विद्वान कि याची के खिलाफ अवर न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए अपराध के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण, इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि याची धारा **313** के तहत अपने आगे के बयान में यह समझाने में विफल रहा कि वह मृतक की कंपनी से कब और कैसे चला गया, जब निर्विवाद रूप से वह अपनी मृत्यु की पिछली शाम के दौरान मृतक के साथ था, और इसलिए नीचे दी गई दोनों अवर न्यायालयों ने उक्त परिस्थिति को याची के प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उचित ठहराया था।

एफ.

जी.

1 1989 एस. सी. सी. 706 2 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 883 3 (2016) 1 एस. सी. सी. 550 ए.

एच.

407

राम गोपाल एस/ओ मंशाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

5. यह नहीं कहा जा सकता है कि जब अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को पूरी तरह से साबित करना पड़ता है, जो निर्विवाद रूप से अभियुक्त के अपराध का कारण बनती है और कोई और नहीं। जहाँ तक वर्तमान मामले में अभिलेख पर साक्ष्य का संबंध है, यह सामने आता है कि यह विवादित नहीं था कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त मृतक प्रताप सिंह को लगभग शाम 5 बजे अपने घर से ले गया था। इसके बाद, गवाह विजय सिंह (पीडब्लू-4) ने मृतक और याची को गाँव अरहेला में एक श्रीपाल की दुकान पर एक साथ देखा। यह भी विवादित नहीं था कि अगले दिन सुबह मृतक का शव चचीहा गाँव में एक खेत के पास पड़ा मिला था। इसलिए, मृतक प्रताप सिंह की मृत्यु **19** और **20** दिसंबर, **1995** की रात के दौरान हुई थी और याची को पिछली शाम मृतक के साथ देखा गया था। इस प्रकार, यह केवल याची ही था, जिसे पता था कि **19** दिसंबर, **1995** की शाम के बाद क्या हुआ।

बी.

सी.

6. यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार अभियोजन पक्ष द्वारा "आखिरी बार एक साथ देखे जाने" का सिद्धांत स्थापित होने के बाद, आरोपी से कुछ स्पष्टीकरण देने की उम्मीद की जाती थी कि उसने कब और किन परिस्थितियों में मृतक की कंपनी को अलग कर दिया था। यह सच है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को देखते हुए, जब कोई भी तथ्य किसी भी व्यक्ति की जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। बेशक, धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के अपने कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है, फिर भी यह समान रूप से स्थापित कानूनी स्थिति भी है कि यदि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को देखते हुए उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो उसके विशेष ज्ञान के भीतर साबित होते हैं, तो अभियुक्त की ओर से ऐसी विफलता का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ किया जा सकता है क्योंकि यह उसके खिलाफ साबित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में, अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना या प्रस्तुत न करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" का सिद्धांत उसके खिलाफ साबित हो गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

7. राजेंद्र बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 4 के मामले में यह देखा गया

निम्नानुसार: “ 12.2.4. ऐसा देखने के बाद, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की तर्कसंगतता

4 (2019) 10 एस. सी. सी. 623

एच.

408

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

वह मृतक के साथ कैसे और कब अलग हुआ, इसका असर किसी मामले में आखिरी बार देखे गए व्यक्ति के प्रभाव पर पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 में यह प्रावधान है कि किसी भी तथ्य के लिए सबूत का भार जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, ऐसे

व्यक्ति पर है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को आखिरी बार मृतक के साथ देखा जाता है, तो उसे इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वह मृतक के साथ कैसे और कब अलग हुआ। दूसरे शब्दों में, उसे एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए जो न्यायालय को संभावित और संतोषजनक प्रतीत होता है, और यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर ऐसा स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो धारा 106 के तहत उस पर डाला गया बोझ समाप्त नहीं होता है। विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में, यदि अभियुक्त उस पर लगाए गए बोझ के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता अपने आप में उसके खिलाफ साबित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 106 अभियुक्त पर आपराधिक मुकदमे के सबूत का बोझ डालती है। इस तरह का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर पड़ता है। धारा 106 केवल यह नियम निर्धारित करती है कि जब अभियुक्त तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो हैं -

बी.

सी.

डी.

विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर और जो समर्थन नहीं कर सकता है

उसकी बेगुनाही के साथ संगत कोई भी सिद्धांत या परिकल्पना, न्यायालय एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में स्पष्टीकरण देने में उसकी विफलता पर विचार कर सकती है जो दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करती है।” 8. सतपाल बनाम हरियाणा राज्य 5 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:- “6. हमने संबंधित प्रस्तुतियों और अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन केवल परिस्थितियों के साथ मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया है। आपराधिक न्यायशास्त्र और न्यायिक उदाहरणों की अधिकता परिस्थितिजन्य साक्ष्य के एक पहलू के रूप में अंतिम देखे गए सिद्धांत के आह्वान के लिए बुनियादी सिद्धांतों पर पुनर्विचार के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अपने आप में एक कमजोर प्रकार का सबूत हो सकता है कि केवल उसी पर दोषसिद्धि पाई जा सके। लेकिन जब इसे अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है जैसे कि वह समय जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब थी, तो आरोपी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देना होता है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या

ई.

एफ.

जी.

राम गोपाल एस/ओ मंशाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

गलत स्पष्टीकरण देता है, फरार हो जाता है, उद्देश्य स्थापित हो जाता है, और अन्य बातों के साथ-साथ वसूली के रूप में या अन्यथा परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाने के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो अभियुक्त के अपराध के लिए एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं, जो निर्दोषता की किसी भी संभावित परिकल्पना के साथ असंगत है, दोषसिद्धि उसी पर आधारित हो सकती है। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंध में कोई संदेह या दरार है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मामले को सिद्धांत के आह्वान के लिए अपने स्वयं के तथ्यों पर जांचना होगा।”

बी.

9. पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि यद्यपि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम बार देखा गया सिद्धांत अपने आप में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है जो केवल इस तरह के सिद्धांत पर दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, जब उक्त सिद्धांत को अन्य परिस्थितियों जैसे कि उस समय के साथ जोड़ा जाता है जब मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब होने के कारण, अभियुक्त को उन परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देना पड़ता है जिनके तहत मृत्यु हुई हो सकती है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, तो फरार हो जाता है, मकसद स्थापित हो जाता है और हथियारों की बरामदगी आदि के रूप में कुछ अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाते हैं, तो दोषसिद्धि ऐसे साक्ष्य पर आधारित हो सकती है।

सी.

डी.

ई.

10. जहाँ तक तत्काल मामले के तथ्यों का संबंध है, यह विधिवत साबित हुआ कि मृतक की मृत्यु हत्या थी। यह विवादित नहीं था कि याची मृतक को पिछले दिन शाम को अपने साथ ले गया था और उसके बाद गवाह विजय सिंह (पीडब्लू-4) ने उसे भी मृतक के साथ देखा और अगले ही दिन सुबह मृतक का शव गांव चचीहा के खेत में पड़ा मिला। उस अवधि के बीच का समय अंतराल जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और मृतक के शव की बरामदगी काफी निकट थी, याची का उस परिस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण न देना जिसके

तहत याची ने मृतक की कंपनी को छोड़ दिया था, उसके खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति साबित हुई। गवाहों के मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मृतक और याची के बीच दुश्मनी भी सामने आई थी। याची से अपराध करने में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार-कुल्हाड़ी की बरामदगी के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य ने भी अभियोजन के मामले की पुष्टि की।

एफ.

जी.

एच.

410

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

11. याची को आरोपित अपराध का दोषी ठहराते हुए सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पूरे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किए जाने के बाद, इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत याचिका में फिर से इसकी सराहना करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खुर्शीद अपनी दलीलों के दौरान अवर न्यायालयों द्वारा पारित विवादित आदेशों में किसी भी विकृति या अवैधता को इंगित करने में विफल रहे हैं, जो इस न्यायालय की अंतरात्मा को हिला देगा जो विवादित निर्णयों में हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

बी.

12. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम नीचे दी अवर न्यायालयों द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

सी.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: भव्यता कपूर, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.